संख्याः-02/2020/पी-16/अड़तीस-9-2020-01(बजट)/2017टी0सी0

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2020**

विषयः-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वामपंथ उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र में मार्ग सम्पर्कता परियोजना (आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0) हेतु प्रशासनिक मद में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त केन्द्रांश रु0 74,16,65,000.00 (रुपये चौहत्तर करोड़ सोलह लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण सम्पर्कता प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17024/26/2019-आरसी(एफएमएस नं0 368336), दिनांक-20.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत लेफ्ट एक्सट्रीमिम्स एरिया (आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0) में मार्ग सम्पर्कता हेतु प्रशासनिक मद में प्रथम किश्त के रुप में केन्द्रांश रु0 74,16,65,000.00 (रुपये चौहत्तर करोड़ सोलह लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17024/26/2019-आरसी(एफएमएस नं0 368336), दिनांक-20.12.2019 के माध्यम से प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त केन्द्रांश रु0 74,16,65,000.00 (रुपये चौहत्तर करोड़ सोलह लाख पैसठ हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

(1)- धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जानी है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि नहीं जायेगा।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुये किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 एवं भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक-20.12.2019 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन, स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से, सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्याः-02/2020/पी-16(1)/अड़तीस-9-2020, तददिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- डा0 सुरभि राय, निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
10- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in